



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 556 राँची, शुक्रवार, 17 भाद्र, 1945 (श०)
8 सितम्बर, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

5 सितम्बर, 2023

संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध-04/18-2949-रा०, विभागीय अधिसूचना संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध-04/18-610/रा०, दिनांक-16.02.2023 द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम) संख्या-37, सन् 1948) के तहत जनगणना नियम 1990 के नियम-8(iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना 2021 के लिए झारखण्ड राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों यथा: जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/छावनी परिषद/वार्ड /पंचायत/ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक-30.06.2023 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने से संबंधित निर्णय अधिसूचित किया गया था।

2 - भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में उक्त प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन की तिथि को समय-समय पर क्रमशः दिनांक-31.12.2020, 31.03.2021, 30.06.2021, 31.12.2021, 30.06.2022, 31.12.2022 एवं 30.06.2023 तक विस्तारित किया गया है।

3 - भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अर्द्ध सरकारी पत्रांक-9/33/2019-CD (CEN) दिनांक-30.06.2023 के आलोक में उक्त प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन की तिथि 31.12.2023 तक विस्तारित की जाती है, अर्थात् दिनांक 31.12.2023 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन जनगणना कार्य की समाप्ति तक नहीं किया जायेगा। दिनांक-01.07.2023 से 31.12.2023 तक प्रशासनिक इकाइयों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना की प्रति संबंधित उपायुक्त/विभाग, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड राँची को उपलब्ध करायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संदीप कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
